भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3155
दिनांक 18.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत भिवंडी में नल-जल आपूर्ति

3155. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या भिवंडी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण और अर्ध-शहरी घरों में नल से जल की आपूर्ति अभी तक पूरी नहीं हुई है;
(ख) यदि हां, तो उक्त निर्वाचन क्षेत्र में अब तक नल से जल के कनेक्शन प्रदत्त गांवों और घरों की संख्या सहित नल से जल के कनेक्शन से वंचित गांवों और घरों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार को उक्त निर्वाचन क्षेत्र में औद्योगिक प्रदूषण, जीवाणु संदूषण और भूजल में भारी धातु सांद्रता सहित जल गुणवत्ता संबंधी मुद्दों को उजागर करने वाली कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या केंद्र सरकार द्वारा उक्त निर्वाचन क्षेत्र में जल संरक्षण, जल गुणवत्ता परीक्षण और उपचार के लिए कोई विशिष्ट वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ङ)**:** पेयजल राज्य का विषय है। पेयजल आपूर्ति स्कीमों/परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन का अधिकार राज्य सरकार के पास है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों की नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में भिवंडी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र को कवर करने वाले ठाणे जिले में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 66,075 (25.29%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्य द्वारा सूचित किए गए

अनुसार, लगभग 1.32 लाख और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 15.12.2025 तक, ठाणे जिले के 2.61 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 1.98 लाख (75.77%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) वर्ष 2015 में देश भर के चयनित 500 शहरों (अब 15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहरों) तथा नगरों में शुरू किया गया था, जो शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन आदि क्षेत्रों पर केंद्रित था। अमृत 2.0 को वर्ष 2021 में सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में शुरू किया गया है। जिसका उद्देश्य शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनने में सक्षम बनाना है। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है।

अमृत के तहत, भिवंडी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में 430.86 करोड़ रुपये की 04 जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू की गईं। अमृत और सामंजस्य के माध्यम से 7.2 एमएलडी जल शोधन संयंत्र क्षमता विकसित की गई है तथा 49,708 नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

अमृत 2.0 के तहत अब तक 2,483.28 करोड़ रुपये की 14 जल आपूर्ति परियोजनाओं और 189.76 करोड़ रुपये की 23 जल निकाय कायाकल्प परियोजनाओं को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भिवंडी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में मंजूरी दी गई है। स्वीकृत परियोजनाओं में 3.83 लाख नए नल जल कनेक्शन और 489 एमएलडी जल शोधन क्षमता का विकास शामिल है।

संदूषित पदार्थों के लिए नियमित परीक्षण सहित परिवारों में आपूर्ति किए जाने वाले पाइपगत जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जेजेएम के तहत निम्नलिखित तंत्र मौजूद हैं:

i) जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है।

ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम बनाने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रहण, रिपोर्टिंग, निगरानी तथा पर्यवेक्षण के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित किए गए जल

गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report

iii) कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों को सुदृढ़ बनाया है, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और निगरानी, जागरूकता सृजन, जल गुणवत्ता पर शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं की प्रत्यायन/मान्यता आदि शामिल हैं।

iv) जल गुणवत्ता की निगरानी हेतु समुदायों को सशक्त बनाने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ग्राम स्तर पर फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके)/बैक्टीरियोलॉजिकल शीशियों का उपयोग करके जल गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव में 5 व्यक्तियों, अधिमानत: महिलाओं की पहचान करें तथा उन्हें प्रशिक्षित करें और डब्ल्यूक्यूएमआईएस पोर्टल पर इसकी सूचना दें।

v) पीने योग्य जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल गुणवत्ता परीक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने मामूली दर पर आम जनता के लिए अपने जल नमूनों के परीक्षण हेतु जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली हैं।

इसके अलावा, जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए कदम प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाते हैं। जेजेएम के तहत, पेयजल स्रोत विकास/सुदृढ़ीकरण/संवर्धन के लिए प्रावधान किए गए हैं; ग्रामीण अवस्थित जल आपूर्ति अवसंरचना के सृजन के अलावा, जल की कमी वाले सूखा-प्रवण और भू-जल स्रोतों पर निर्भर न होने वाले रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल के थोक अंतरण के लिए अवसंरचना**,** शोधन और संवितरण प्रणालियों का निर्माण किया जा रहा है।

पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक गांव को जल जीवन मिशन के तहत 5 वर्ष की ग्राम कार्य योजना तैयार करनी होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण स्तर पर अन्य योजनाओं नामत: मनरेगा, ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी)/पीआरआई को 15वें वित्त आयोग से सशर्त अनुदान, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राज्य स्कीमें, जिला खनिज विकास निधि, सीएसआर निधियां, सामुदायिक अंशदान आदि के साथ सामंजस्य में किए जाने वाले पेयजल स्रोतों का संवर्धन और सुदृढ़ीकरण शामिल है।
